भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

354

न्यायालय माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर म.प्र.

निगरानी प्रकरण क्रमांक- R-2597-I/16 वर्ष-2016

अशोक कुमार तनय नाथूराम ब्राम्हण,

निवासी ग्राम कोंड़ा, तहसील राजनगर

जिला छतरपुर म.प्र. ----------------------आवेदक

दिनांक 3-8-16 को श्री जगदीश श्रीवास्तव अभि० द्वारा प्रस्तुत।

ब नाम

1. शासन मध्यप्रदेश

2. कन्हैया तनय प्यारेलाल अहिरवार, निवासी

ग्राम कोंड़ा तहसील राजनगर जिला छतरपुरम.प्र.,

3. श्रीमती पूर्णिमा पत्नी दिलीप

निवासी ग्राम कोंड़ा, तहसील राजनगर

जिला छतरपुर म.प्र. ---------------अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959.

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक- 24.07.1990, पारित द्वारा नायब तहसीलदार राजनगर, अन्तर्गत राजस्व प्रकरण क्रमांक- 18/अ-19(4)/86-87, जिसमें आवेदक का 00 भूमि स्वामी आदेश दिनांक- 19.02.90 से परिवेदित होकर।

श्रीमान्,

आवेदक निम्नलिखित तथ्यों व आधारों पर यह निगरानी सादर प्रस्तुत करता है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—2597—एक/2016 जिला—छतरपुर

अशोक कुमार विरूद्ध म.प्र. शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25—02—2019	आवेदक की ओर से श्री जगदीश श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार राजनगर, जिला—छतरपुर के प्र. क्र. 18/अ—19(अ)/1986—87 में पारित आदेश दिनांक 24—07—1990 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 18—4—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) सदस्य 25/2/2019	